



सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय  
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

“बी” विंग, छठा तल,  
लोक नायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

दिनांक 23 जून, 2024 को झारखंड राज्य के देवघर जिले का डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य,  
(एन.सी.एस.टी) द्वारा किए गए दौरे के बाद समीक्षा रिपोर्ट।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग के दौर के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य के साथ उपस्थित रहे

क्र. स.	नाम	पद
1.	डॉ आशा लकड़ा	माननीया सदस्य
2.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव

**दिनांक 23 जून, 2024 को झारखंड राज्य के देवघर जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और देवघर जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।



Figure 1 देवघर जिले के आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ माननीया सदस्य वार्तालाप करते हुए

## 1: अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ जिला देवघर में बैठक

आयोग के माननीय सदस्य ने वहां उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। आयोग भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने एन.सी.एस.टी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एस.टी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई व प्रक्रिया पर प्रकाश डाला तथा बताया कि एस.टी समुदाय अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिकाएं आयोग को प्रस्तुत की गईं। चर्चा के दौरान, माननीय सदस्य ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एस.टी संघों के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल ([www.ncstgrams.gov.in](http://www.ncstgrams.gov.in)) के बारे में बताया कि इसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते हैं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय समस्याओं के बारे में आयोग को अवगत करवाया तथा निवारण हेतु निवेदन किया।

चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दों की पहचान की गई जो निम्नानुसार हैं-

- I. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव
- II. आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना
- III. पेंशनधारकों की पेंशन प्राप्ति में
- IV. बालिकाओं एंव बालकों के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों की व्यवस्था एंव प्रबंधन
- V. अनुसूचित जनजाति के प्रवासियों का पंजीकरण और सुरक्षा: अन्य जिलों व राज्यों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रवासियों के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की

3

**मात्रासोफी**  
 डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
 सदस्य/Member  
 भारत सरकार/Government of India  
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
 National Commission for Scheduled Tribes  
 नई दिल्ली/New Delhi

3

गई प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।

2. अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए देवघर जिला के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा बैठक की गई।

आरंभ में उपायुक्त ने आयोग की माननीया सदस्य का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों ने आयोग की माननीय सदस्या को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने देवघर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा किया जाए। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।



Figure 2 देवघर जिले के पदाधिकारियों के समीक्षा बैठक के दौरान

4  
4

आशा लकड़ा  
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi

### 3. आयोग का अवलोकन और अनुशंषाए -

देवघर जिले के उपायुक्त को एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंषाए की गईं

#### 1. शिक्षा विभाग:

सभी संकुल में बच्चों के कौशल विकास हेतु वाद-विवाद, Orientation Program आदि करवाए जाने चाहिए, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने हेतु खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, आवासीय विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि.मी. की दूरी में 01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेज आगे की कार्यवाही की जाए तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालय संचालित हैं एवं उनमें कार्यरत नियमित/अनियमित शिक्षकों में कितने अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं से संबंधित डाटा आयोग को उपलब्ध करवाया जाए। नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 से 5 के विधार्थियों को स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें एवं प्रत्येक प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में कुल विधार्थियों में एस.टी समुदाय के कितने छात्र छात्राएं इसके आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करे ड्रॉपआउट बच्चों के प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करें

#### 2. आपूर्ति विभाग:

2.1 जन वितरण प्रणाली कि दुकानों में राशन का वितरण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। कई ग्रामों में बिजली-सड़क की सुविधा नहीं है एवं अभी बरसात का समय आने वाला है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से राशन का वितरण करने में कठिनाई आती है अतः वर्तमान में 03 माह की अवधि तक सभी संबंधित कार्डधारियों को राशन का वितरण ऑफलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन की आपूर्ति समय पर एवं नियमानुसार हो रही है या नहीं इसकी स्थलीय जाँच करके आयोग को भेजे।

2.2 ऐसे स्थल जहाँ राशन उठाव करने हेतु 04 – 05 किलोमीटर से अधिक दुरी तय करना पड़ता है, को चिन्हित करते हुए विभाग को प्रस्ताव बना कर भेजे तथा उसकी प्रतिलिपि आयोग को भी भेजे और सम्बन्धित अधिकारी राशन वितरण में होने वाली समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

#### 3. जिला समाज कल्याण विभाग :

जिले के संबंधित विभाग द्वारा आयोग को यह बताया जाए की देवघर जिले में पर्यवेक्षकों की कुल संख्या कितनी है यह डाटा आयोग को उपलब्ध कराया जाए। कुल आंगनबाड़ी केंद्रों में से कितने विभाग के अपने भवन हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं? यह डाटा आयोग को उपलब्ध कराया जाए गर्भवती

काशा लकड़ा  
 डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
 सदस्य/Member  
 भारत सरकार/Government of India  
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
 National Commission for Scheduled Tribes  
 नई दिल्ली/New Delhi

महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी आयोग को उपलब्ध करवाई जाए। ऐसे गांव और बस्तियां चिन्हित करें जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं। वहां आंगनबाड़ी की स्थापना करने हेतु विभाग आवश्यक कदम उठाए जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को Play School के रूप में विकसित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समुदाय के बच्चे स्कूल आ सकें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।

#### 4. कल्याण विभाग :

बिरसा आवास योजना के अंतर्गत जिले में प्रखण्डवार आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जातियों को आवंटित आवासों की संख्या भी आयोग को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, अन्य सभी आवासीय योजनाओं से संबंधित आंकड़े भी आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। सभी योजनाओं में पहली और दूसरी किस्त के बीच के अंतराल पर विशेष ध्यान दिया गया है। धुमकुड़ीया का निर्माण जिले में काफी कम हो रहा है। जेहरस्थान (पारंपरिक सामुदायिक स्थल) की संख्या भी बहुत कम है। यह स्थिति चिंताजनक है और इस पर भी विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है।

#### 5. पुलिस विभाग :

5.1 जिला पुलिस विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जनजाति के द्वारा दर्ज मामलो का 2020 से लेकर वर्तमान तक लंबित व निष्पादित मामले चार्जसीट के साथ आयोग को भेजी जाए। हर थाना में एस०टी०/एस०सी० संबंधित मामलों की प्राथमिकता से प्राथमिकी शिकायत दर्ज कर सम्बन्धित थाने में प्रेषित की जाए इसकी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

5.2 तस्करी और पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग जिले से बाहर जाने वाले तथा वे लोग कहाँ जा रहे है व क्या काम करने जा रहे है इसका पंजीकरण अनिवार्य रूप से करें व सभी थानों में इसे बाध्यकारी रूप से लागू करवाएं। इसके साथ साथ विभाग मानव तस्करी, पशु तस्करी और अवैध परिवहन द्वारा बालू मिट्टी की तस्करी के मामलों पर भी ध्यान दे।

5.3 एस०टी०/एस०सी० के व्यक्तियों के लिए पुलिस विभाग आंतरिक शिकायत सेल का गठन करें और अनुसूचित जनजाति के पुलिस पदाधिकारी को इसमें आवश्यक रूप से शामिल करें।

6. कृषि विभाग :- जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर को अनुदानित ट्रैक्टर, पम्प सेट, बीज, और अन्य योजनाओं का समय पर और योग्य लाभुकों को वितरण सुनिश्चित करें। कृषि चास भूमि की उपलब्धता जिले

6

6

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi

में कितनी है ? इसकी जानकारी आयोग को बताये और किसान मित्र कार्यरत किसानों की संख्या आयोग को उपलब्ध कराये। के०सी०सी० ऋण के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को किसानों के साथ बैठक कर ऋण उपलब्ध कराये।

7. **स्वास्थ्य विभाग :-** जिला अस्पताल, देवघर की ओ.पी.डी. रोस्टर बना कर स्थानीय दैनिक अखबार में प्रकाशित करें जिससे दूर से आने वाले लोगों को अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी होगी और कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए माह में दो शिविर का आयोजन कराया जाना चाहिए। चिकित्सा विभाग हर ब्लॉक में केम्प लगाकर स्वास्थ्य जाँच करे
8. **वन विभाग :-** पहाड़ / जंगल में रहने वाले भूमिहीन परिवार / व्यक्ति को 300 Sq Feet भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जाने चाहिए ताकि पहाड़/जंगल में आवासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, अम्बेडकर आवास, बिरसा मुण्डा आवास योजना का लाभ मिल सके। पहाड़ पर वन भूमि जो समतल हो ऐसी भूमि को जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर, खेल मैदान में परिवर्तित करें और पहाड़ में रहने वाले युवाओं को खेल से जोड़े। वन अधिकार कानून, तथा वन विभाग से आदिवासी समाज को किन-किन योजना से लाभान्वित किया जा सकता है, के संबंध में जानकारी आयोग को प्रदान करें। योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु मुहिम चलाना सुनिश्चित करें।
9. **श्रम नियोजन :-** जिले में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत है आयोग को कुल पंजीकृत श्रमिक में अनुसूचित जनजाति के कितना श्रमिक, उसमें महिला/पुरुष कितना पंजीकृत है। साथ ही संगठित / असंगठित, कुशल / अर्द्धकुशल श्रमिक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये। साथ ही नगर निकाय के श्रमिकों को संगठित ग्रुप में पंजीकृत करने तथा प्रत्येक प्रखण्ड में शिविर लगाकर श्रमिकों को कोटिवार पंजीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।
10. **मंडल कारागृह :-** मंडल कारागृह में कैदियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा जिले के कारागृह में कितने ST समुदाय के लोग बंद है तथा किस मामले में वे कब से बंद है उनका डाटा आयोग को उपलब्ध करवाया जाए
11. **जिला स्तर पर भी एक आंतरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell) गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की उसमे प्रतिनियुक्ति करें, ताकि छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सके,**

7

7  
 डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra  
 सदस्य / Member  
 भारत सरकार / Government of India  
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
 National Commission for Scheduled Tribes  
 नई दिल्ली / New Delhi

\*जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा देवघर जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।\*

*आशा लकड़ा*  
16/10/2024  
(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi